

बेड़ो प्रखण्ड के जनजातीय क्षेत्रों में सतत विकास: एक भौगोलिक विश्लेषण

आकाश उराँव

संस्थान: विश्वविद्यालय भूगोल विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

सारांश

जनजातियों ने हजारों वर्षों से जंगलों में पहाड़ों खुले मैदानों तथा सभ्यता के केंद्रों में बसे लोगों से अधिक सम्पर्क स्थापित किए बिना ही अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। विदेशियों के लगातार आक्रमण तथा अधिक शक्तिशाली पड़ोसी समुदायों के निरंतर दबाव के कारण उन्हें जंगलो पहाड़ों एवं अन्य दुर्गम क्षेत्रों की ओर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। जनजाति अपनी आर्थिक सामाजिक एवं बौद्धिक आवश्यकता के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। आजीविका के लिए कृषि आखेट खनन एवं भोजन संग्रहण और प्राकृतिक पर निर्भर रहता है। जनजातीय के कल्याण के लिए बहुत से योजनाएं लाये गये हैं पर जनजाति की स्थिति पिछड़ा हुआ ही है सतत विकास केवल आर्थिक वृद्धि का पर्याय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक विविधता, और पर्यावरणीय संतुलन का सम्मिलित रूप है। बेड़ों प्रखण्ड के जनजातीय क्षेत्रों में यह अवधारणा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ के समुदाय प्रकृति के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। आधुनिक विकास की प्रक्रिया ने जहाँ नई संभावनाएँ खोली हैं, वहीं इसने पारंपरिक ज्ञान, संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान को भी खतरे में डाला है। यह शोध-पत्र जनजातीय क्षेत्रों में सतत विकास की चुनौतियों, अवसरों और संभावनाओं का अध्ययन करता है तथा यह दर्शाता है कि समावेशी एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाकर ही वास्तविक विकास संभव है।

मुख्य शब्द: सतत विकास, जनजातीय समुदाय, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, संसाधन प्रबंधन, समावेशी नीति

परिचय

भारत में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 104545716 है, जिसमें कुल महिलाएं की जनसंख्या 51998501 है, जबकि कुल पुरुष की जनसंख्या 52547215 है। भारत में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। जनजातियों का साक्षरता दर 58.95% तथा लिंगानुपात 990 है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 49.35 प्रतिशत है, तथा पुरुषों की साक्षरता दर 68.53 प्रतिशत है। शीर्षक के अंतर्गत शोध का अध्ययन क्षेत्र बेड़ो प्रखण्ड भारत देश झारखण्ड राज्य तथा राँची जिला का 18 प्रखण्डों में से एक प्रखण्ड है जहाँ कुल

पंचायत की संख्या 17 तथा गाँवों की संख्या 84 है ज्ञातव्य है कि बेड़ो प्रखण्ड का अक्षांशीय विस्तार 23°13'30" से 23°24' उत्तरी अक्षांश तथा देशान्तरीय विस्तार 84°53'30" से 85°4' पूर्वी देशान्तरीय तक है इसका कुल क्षेत्रफल 290.70 वर्ग कि॰मी॰ है। इस प्रखण्ड का सीमा के रूप में कहा जाएगा कि इसके उत्तर में माण्डर चान्हो प्रखण्ड, दक्षिण में लापुंग, पूर्व में इटकी तथा पश्चिमी में भरनो और भंडरा प्रखण्ड से सीमा बनाति है। 2011 के जनगणना के अनुसार बेड़ो का कुल जनसंख्या 113090 जिसमें स्त्रीयों की जनसंख्या 55779 तथा पुरुषों की जनसंख्या 57311, 0 - 6 वर्ष की जनसंख्या 17518, साक्षरता दर 57 प्रतिशत, जनसंख्या घनत्व 389, लिंगानुपात 973, तथा कुल कार्यकर्ता की जनसंख्या 56434 है। यहाँ जनजातियों की कुल जनसंख्या 69959 है जहाँ निम्नलिखित जनजाति है उरांव, मुण्डा, चिक बड़ाईक, महली, लोहरा, गोड़ाइत, हो खड़िया, और खरवार इत्यादि है। जो कुल जनसंख्या का 61 प्रतिशत जनसंख्या है तथा भारत का कुल जनजाति जनसंख्या का 0.06 प्रतिशत है इसमें पुरुषों की जनसंख्या 35190, स्त्रीयों की जनसंख्या 34769 तथा जनजाति लिंगानुपात 988 है। यहाँ कुल श्रमिकों की जनसंख्या 56434 है जिसमें कृषक की संख्या - 28,785, कृषि श्रमिक 19337, घरेलु श्रमिक की संख्या 2377 अन्य श्रमिक संख्या 5935 तथा गैर-श्रमिक की संख्या 56656 है। बेड़ो प्रखण्ड के अनुसूचित जनजातीय के मुख्य व्यवसाय कृषि करना, वनों से लकड़ी पत्ता व अनेक प्रकार के फल सब्जी एकत्र करना, मजदूरी करना, तथा शराब बनाना जीविका के लिए किया जाता है।

अनुसंधान उद्देश्य

1. जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. सतत विकास के संदर्भ में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की भूमिका को समझना।
3. सरकारी योजनाओं और नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
4. समावेशी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विकास के नए मॉडल सुझाना।

कार्यविधि

इस अध्ययन में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। डेटा के स्रोत - बेड़ो प्रखण्ड, रांची तथा झारखंड क्षेत्र से संबंधित पुस्तकों, शोध-पत्रों एवं सरकारी रिपोर्टों के दस्तावेज ।

सतत विकास की अवधारणा

सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य मानवीय जीवन की गुणवत्ता में सतत सुधार करना है इस संदर्भ में सतत विकास के उद्देश्य निम्न हैं-

1. आर्थिक विकास दर को उच्च स्तर पर पहुंचाना।
2. मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना।
3. जीवन स्तर में सुधार करना। इस उद्देश्य के अंतर्गत कुछ विशिष्ट लक्ष्य सम्मिलित हैं जैसे -
 - a. स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अवसरों में सुधार करना

- b. सभी व्यक्तियों की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता सुनिश्चित करना।
 - c. स्वच्छ पर्यावरण को सुनिश्चित करने में सहायता देना तथा
 - d. अंतर पीढ़ीगत सामानता को प्रेरित करना।
4. भविष्य में भी पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक संसाधन परिसंपत्तियों के स्टॉक को बनाए रखना और आर्थिक विकास के शुद्ध लाभ को अधिकतम करना है।

सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें।

प्रमुख चुनौतियाँ

आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और नीतिगत असमानताएँ जनजातीय विकास में प्रमुख बाधाएँ हैं।

सांस्कृतिक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता

जनजातीय समाज की संस्कृति और जीवन-पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनजातियाँ प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीती हैं। उनके पारंपरिक ज्ञान, जैसे वन संरक्षण, जल प्रबंधन, जैव विविधता की रक्षा और संसाधनों का सीमित उपयोग—सतत विकास के मूल सिद्धांतों से मेल खाते हैं। समावेशी दृष्टिकोण का अर्थ है विकास की प्रक्रिया में जनजातीय समुदायों की भागीदारी, उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी आवश्यकताओं को समझना। यदि विकास योजनाएँ उनकी संस्कृति, परंपराओं और आजीविका को नजरअंदाज करती हैं, तो यह न तो न्यायसंगत होगा और न ही टिकाऊ। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करते समय उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना आवश्यक है। जनजातीय संस्कृति का सम्मान और समावेशी नीतियाँ सामाजिक पहचान को बढ़ाती हैं तथा विकास के लाभ सभी तक पहुँचाती हैं। इस प्रकार, जनजातीय दृष्टिकोण को अपनाकर और उन्हें विकास की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक शामिल करके ही सच्चा और दीर्घकालिक सतत विकास संभव है।

पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संसाधन प्रबंधन

जनजातियों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ियों के अनुभव, प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन और सामुदायिक जीवन पर आधारित होता है। यह ज्ञान वन, जल, भूमि, औषधीय पौधों, कृषि और पशुपालन के सतत उपयोग से जुड़ा है। स्थानीय संसाधन प्रबंधन में जनजातियाँ जंगलों से केवल आवश्यकता अनुसार उपज लेती हैं, वृक्षों की पूजा और संरक्षण करती हैं, तथा जल स्रोतों को पवित्र मानकर उनकी रक्षा करती हैं। झूम खेती, मिश्रित फसल प्रणाली और बीज संरक्षण जैसे तरीके जैव विविधता बनाए रखने में सहायक रहे हैं। यह ज्ञान पर्यावरण संतुलन, जलवायु अनुकूलन और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिकीकरण, विस्थापन और बाहरी हस्तक्षेप के कारण यह ज्ञान क्षीण हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता दी जाए, उनके पारंपरिक ज्ञान का

दस्तावेजीकरण हो और नीति निर्माण में उन्हें सहभागी बनाया जाए। इससे न केवल संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन संभव होगा, बल्कि सांस्कृतिक विरासत भी सुरक्षित रहेगी।

सरकारी पहल और नीतियाँ

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, मैरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, जनजातीय उप-योजना, झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, पेसा एक्ट 1996, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, भारतीय संविधान के भाग 16, अनुच्छेद 330-342 और भाग 10, अनुच्छेद 244-244A और जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय सशक्तिकरण के लिए बनाई गई हैं।

भविष्य की दिशा

स्थानीय विकास मॉडल, सामाजिक पूंजी निर्माण, तकनीकी समावेशन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण भविष्य की दिशा होनी चाहिए।

निष्कर्ष

जनजाति क्षेत्रों में सतत विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। जब विकास योजनाएँ स्थानीय समुदाय की भागीदारी, पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर लागू की जाती हैं, तभी उनका वास्तविक लाभ मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है, परंतु यह प्रक्रिया प्रकृति और जनजातीय संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। अतः जनजाति क्षेत्रों में सतत विकास एक समन्वित दृष्टिकोण की मांग करता है, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों का भी सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

संदर्भ सूची (References)

1. शोध पत्र सोड़ी सुनिता, छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति के नृजाति तत्वों का मानवशास्त्रीय अध्ययन, मानवविज्ञान अध्ययनशाला, पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, पृ. स. 14,17
2. शोध पत्र: अम्बष्ट शिल्पी, भारत का सतत आर्थिक विकास एवं पर्यावरण क्षरण एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, अर्थशास्त्र विभाग समाज विज्ञान संकाय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी - 221002 पृ. स. 29,30
3. भारत-2, सामाजिक विज्ञान समकालिन, एन. सी. ई. आर. टी.
4. भारत का संविधान
5. जनगणना 2011 रांची जिला हैंडबुक